न्यायालय मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण अपर जिला न्यायाधीश सं.2, गंगापुर सिटी

पीठासीन अधिकारी–रेशमा खान, जिला न्यायाधीश संवर्ग

1. क्लेम याचिका संख्या 28/2026 (Cis no.52/2020)

सीएनआर नंबर–RJSM070006432020

1. बत्तीलाल पुत्र मांग्या उर्फ मांगीलाल

2. बजरंगी पत्नी बत्तीलाल

3. मोनाबाई पुत्री बत्तीलाल

4. लालीबाई पुत्री बत्तीलाल

सभी निवासी ग्राम जीवद तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर राज.

2. क्लेम याचिका संख्या 29/2026 (Cis No. 53/2020)

सीएनआर नंबर–RJSM070006442020

1. बत्तीलाल पुत्र मांग्या उर्फ मांगीलाल

2. बजरंगी पत्नी बत्तीलाल

3. मोनाबाई पुत्री बत्तीलाल

4. लालीबाई पुत्री बत्तीलाल

सभी निवासी ग्राम जीवद तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर राज.

प्रार्थीगण

बनाम

1.कैलाशचंद पुत्र बालूराम निवासी ढाणी खारली तन ठीकरिया पी.एस. नांगल राजावतान जिला दौसा वाहन चालक

2. मुकेश कुमार मीना पुत्र बालूराम निवासी ढाणी खारली तन ठीकरिया थाना नांगल राजावतान जिला दौसा वाहन मालिक

3.मनोज कुमार पुत्र पदमचंद निवासी पटवा मोहल्ला सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा रजिस्टर्ड वाहन मालिक

4. चोला मण्डलम एम.एस.जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जयपुर

बीमा कंपनी वाहन नंबर आर.जे.32/जी.ए.8180

क्लेम याचिका अंतर्गत धारा 166 मोटर यान अधिनियम बाबत दिलाये जाने क्षतिपूर्ति राशि
उपस्थिति,

1. श्री सीताराम गुप्ता, श्री रजत गुप्ता अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से,
2. श्री कृष्णकांत शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं.1 से 3
3. श्री आर.के.अग्रवाल, अधिवक्ता अप्रार्थी सं.4

अधिनिर्णय दिनांक 10.08.2026

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सवाई माधोपुर के आदेश क्रमांक 115 दिनांक 16.07.2026 द्वारा यह प्रकरण न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं.01, गंगापुर सिटी से अन्तरित होकर इस न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. प्रार्थीगण द्वारा दुर्घटना में विष्णु व मुनेश कुमार की मृत्यु होने पर प्रतिकर के लिये ये आवेदन अधिकरण के समक्ष पृथक–पृथक पेश किये गये थे, जो एक ही घटना से संबंधित होने के कारण इनको समेकित कर एक साथ विचारण किया गया है तथा एक ही निर्णय पारित किया जा रहा है।

3. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत क्लेम याचिकाओं के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 14.03.2020 को सुबह करीब 7.00 बजे मृतक विष्णु व उसका बडा भाई मृतक मुनेश मोटरसाईकिल से जीवद से रवाना होकर दौसा जा रहे थे, मोटरसाईकिल को मुनेश धीरे–धीरे सावधानीपूर्वक अपनी दिशा से चलाता हुआ ले जा रहा था। मृतक विष्णु मोटरसाईकिल पर पीछे बैठा हुआ था, सुबह करीब 9.30 बजे जब टोडामीना गांव के पास पहुंचे तो पीछे से पिकअप नंबर आर.जे.32/जी.ए.8180 को उसका चालक विपक्षी सं.1 तेज रफ्तार एवं लापरवाही से गलत दिशा में चलाता हुआ लाया और पिकअप की मोटरसाईकिल के टक्कर मारी, उक्त दुर्घटना में मृतक विष्णु की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई व मृतक मुनेश की दौराने इलाज मृत्य हो गई। उक्त दुर्घटना विपक्षी सं.1 की घोर लापरवाही, गलती एवं उपेक्षा के कारण घटित हुई है। इस घटना की एफआईआर संख्या 49/2020 पी.एस. नांगल राजावतान में दर्ज करवाई गई, बाद अनुसंधान अप्रार्थी क्रम–1 के विरूद्ध आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया।

4. प्रार्थीगण बत्तीलाल व अन्य की ओर से मृतक विष्णु की आयु 19 साल तथा मकान बनाने का मिस्त्री का कार्य करने जिससे 18,000 रूपये प्रतिमाह आय होने का कथन करते हुए 83,52,000 रूपये क्षतिपूर्ति स्वरूप अप्रार्थीगण के विरूद्ध चाहे गये हैं।

5. प्रार्थीगण बत्तीलाल व अन्य की ओर से मृतक मुनेश कुमार की आयु 25 साल तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने व टयूशन का कार्य करने जिससे 40,000

रूपये प्रतिमाह आय होने का कथन करते हुए 1,85,77,000 रूपये क्षतिपूर्ति स्वरूप अप्रार्थीगण के विरूद्ध चाहे गये हैं।

6. अप्रार्थी सं.1 से 3 की ओर से याचिका का जवाब पेश कर यह कथन किया कि अप्रार्थी सं.1 की उक्त दुर्घटना में कोई गफलत व लापरवाही नहीं रही है। अप्रार्थी सं.1 अपनी पिकअप को सही दिशा में सडक नियमों की पालना में चलाता हुआ सावधानीपूर्वक ले जा रहा था कि अचानक पिकअप के आगे आगे जा रही बिना नंबरी मोटरसाईकिल हीरो एचएफ डिलक्स के चालक ने अचानक बिना कोई इशारा इण्डिकेटर दिये तेजी से ब्रेक लगाये, अप्रार्थी सं.1 ने पिकअप को रोकने की पूरी कोशिश की व पूरी तेजी से ब्रेक लगाये, किंतु पिकअप मोटरसाईकिल से जा टकराई। इस तरह दुर्घटना स्वयं मोटर साईकिल चालक की गफलत व लापरवाही के कारण घटित हुई है इसलिए वह अप्रार्थीगण से कोई क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वाहन अप्रार्थी सं.4 बीमा कंपनी के यहां बीमित होने के कारण बीमा कंपनी के विरूद्ध अवार्ड पारित करने का निवेदन किया।

7. अप्रार्थी सं.4 बीमा कंपनी की ओर से प्रार्थीगण की क्लेम याचिका का जवाब पेश कर यह कथन किया है कि अप्रार्थी सं.1 के पास वाहन चलाने का वैध व प्रभावी चालक अनुज्ञा पत्र नहीं था। दुर्घटना के तीन दिन पश्चात विपक्षी वाहन को गलत रूप से लिप्त करते हुए दर्ज करायी गई है। प्रश्नगत वाहन को दुर्घटना के तीन दिन पश्चात दुर्घटना की कहानी को बदलते हुए लिप्त किया गया है। उक्त दुर्घटना स्वयं मृतक की लापरवाही के कारण घटित हुई है, मृतक के पास वाहन चलाने का वैध व प्रभावी चालक अनुज्ञा पत्र नहीं था। मोटरसाईकिल के मालिक व बीमा कंपनी आवश्यक पक्षकार है। मृतक को भी दुर्घटना में बराबर का जिम्मेदार मानते हुए अंशदायी योगदान तक निर्धारित किया जाये। अतः बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति राशि अदायगी हेतु उत्तरदायी नहीं है।

8. उभयपक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाद्यक कायम किये गये–

1. आया दिनांक 14.03.2020 को सुबह करीब 09:30 बजे थाना नांगल राजावतान जिला दौसा के क्षेत्राधिकार में टोडामीना गाँव के पास अप्रार्थी संख्या 01 ने अप्रार्थी संख्या 02 के स्वामित्व के वाहन पिक अप नम्बर आर.जे.32/जी.ए. 8180 को उसके नियोजन में व उसके लाभार्थ तेज रफ्तार व लापरवाही से गलत दिशा में चलाकर मोटरसाईकिल से जा रहे मृतकगण विष्णु व मुनेश के टक्कर मारकर उनके गंभीर चोटें कारित की जिससे उनकी मृत्यु कारित हुई ?

2. आया प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी है, यदि हां तो किस अप्रार्थी से व कितनी राशि प्राप्त करने के अधिकारी है ?

3. आया अप्रार्थीगण द्वारा जवाब याचिका में उठाई गई आपत्तियों एवं विशेष विवरण के अनुसार प्रस्तुत क्लेम याचिका खारिज किये जाने योग्य है ?

4. अनुतोष

9. प्रार्थीगण की ओर से साक्ष्य में ए.ड.1 बत्तीलाल, ए.ड.2 नानगराम को न्यायालय में पेश कर परीक्षित कराया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 से प्रदर्श 35 को न्यायालय में पेश कर प्रदर्शित कराया गया। अप्रार्थीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नही की गई।

10. दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा यह तर्क पेश किए हैं कि दिनांक 14.03.2020 को सुबह 9.30 बजे अप्रार्थी सं.1 द्वारा वाहन नंबर आर.जे.32/जी.ए.8180 को तेज रफ्तार व लापरवाही से गलत दिशा में चलाकर मोटरसाईकिल के टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की जिसके परिणामस्वरूप मोटर साईकिल पर सवार विष्णु व मुनेश की मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा अप्रार्थी सं.1 के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाते हुए आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत क्षतिपूर्ति याचिका स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण के विरूद्ध संयुक्त व पृथक–पृथक रूप से क्षतिपूर्ति राशि का अवार्ड पारित करने की प्रार्थना की गई। अपने तर्क समर्थन में निम्न न्यायिक नजीर पेश की गई–

1 2018(2) आर.ए.आर.241(एस.सी.) मेग्मा जनरल इं./नानूराम

2. 2023(1) टी.ए.सी.145(एस.सी.) पुष्पादेवी/संदीप व अन्य

3. 2025 एसीटीसी(एस.सी.)337 दीपक सिंह उर्फ दीपक/मुकेश कुमार

4. 2025 एसीटीसी(एस.सी.)565 एस.मो.हाकिम/नेशनल इं.कं.

5. 2025 एसीटीसी(राज.)462 नीलम/जयप्रकाश नाटानी व अन्य

11. अप्रार्थी बीमा कंपनी की ओर से उक्त तर्कों का विरोध कर दुर्घटना स्वयं मृतक की लापरवाही के परिणामस्वरूप घटित होने व प्रथम सूचना रिपोर्ट 3 दिन पश्चात बीमित वाहन को गलत रूप से दुर्घटना में लिप्त करते हुए दर्ज कराये जाने, मृतक के पास वाहन चलाने का वैध व प्रभावी चालक अनुज्ञापत्र नहीं होने, मृतक की आय पर उसकी दोनों बहिनें आश्रित नहीं होने, मृतकगण के अविवाहित होने से उनके निजी खर्च में 50 प्रतिशत की कटौती किये जाने, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने मात्र से मृतक मुनेश को नियमित रोजगार में रहते हुए आय अर्जित करना नहीं माना जा सकता। अतः नोशनल आय के आधार पर गणना करने, नानगराम चक्षुदर्शी गवाह नहीं होने के कथन कर अंत में क्लेम याचिका खारिज किये जाने का निवेदन किया।

12. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण में विरचित किये गये विवाद्यकों के संबंध में न्यायालय का निष्कर्ष इस प्रकार से है–

13. **<u>विवाद्यक सं. 01 व 3</u>**

1. विवाद्यक सं.1 व 3 समान साक्ष्य पर आधारित होने व एक–दूसरे से संबंधित होने के कारण सुविधा की दृष्टि से एक साथ निस्तारण किया जा रहा है।

2. इस तरह के मामलों में यह सुस्थापित विधि है कि प्रार्थी पक्ष को ही प्रश्नगत वाहन की दुर्घटना में संलिप्तता व उसके चालक की लापरवाही व उपेक्षा का तथ्य

प्रमाणित करना होता है, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय Surender Kumar Arora And Anr. Vs. Dr. Manoj Bisla And Ors. II (2012) ACJ Page 1285 (SC) में प्रतिपादित किया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी सुस्थापित विधि है कि अधिकरण को भी इस तरह के मामलों में सम्भावनाओं की प्रबलता के आधार पर ही मामला साबित करना होता है, न कि सन्देह से परे।

3. प्रार्थी पक्ष की साक्ष्य के अनुसार ए.ड.1 बत्तीलाल ने शपथपत्र पर प्रस्तुत मुख्य परीक्षण अभिकथनों के द्वारा यह तथ्य प्रकट किये हैं कि दिनांक 14.03.2020 को समय सुबह करीब 7.00 बजे उसके पुत्र मुनेश व विष्णु अपनी मोटर साईकिल से जीवद से रवाना होकर दौसा जा रहे थे। मोटर साईकिल को मुनेश धीरे धीरे सावधानी पूर्वक अपनी दिशा में चलाता हुआ ले जा रहा था। विष्णु मोटर साईकिल पर पीछे बैठा हुआ था। समय सुबह करीब 9.30 बजे जब टोडामीना गाँव के पास पहुंचे तो पीछे से पिकअप नम्बर आर.जे.32 जी.ए. 8180 को उसका चालक विपक्षी संख्या 1 बहुत तेज रफ्तार एंव लापरवाही से गलत दिशा में चलाता हुआ लाया और पिकअप की मोटर साईकिल के पीछे से टक्कर मारी। उक्त दुर्घटना में उसके पुत्र विष्णु की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी व दूसरे पुत्र मुनेश को गम्भीर हालत होने पर अस्पताल में भर्ती कराया जिसकी दौराने इलाज मृत्यु हो गई। उक्त दुर्घटना अप्रार्थी सं.1 की घोर लापरवाही व असावधानी के कारण पिकअप को तेज गति से चलाने के कारण घटित हुई है। प्रलेखीय साक्ष्य में एफ.आई.आर. प्रदर्श 1, चार्जशीट प्रदर्श 2, पोस्टमार्टम रिपोर्ट विष्णु प्रदर्श 3, फर्द पंचायत नामा विष्णु प्रदर्श 4, रसीद सुपुदर्गी लाश विष्णु प्रदर्श 5, आर.सी. पिकअप प्रदर्श 6, डी. एल. विपक्षी संख्या 1 प्रदर्श 7, बीमा कवर नोट प्रदर्श 8, मुख्तयार नामा प्रदर्श 9, नक्शा मौका प्रदर्श 10, नोटिस 133 एम.वी.एक्ट प्रदर्श 11, नोटिस 134 एम.वी.एक्ट प्रदर्श 12, फर्द जप्ती पिकअप प्रदर्श 13, मैकेनिकल मुआयना मोटर साईकिल प्रदर्श 14, मैकेनिकल मुआयना पिकअप प्रदर्श 15, फर्द डैमेज मोटर साईकिल प्रदर्श 16, चालान पत्रावली से प्राप्त फोटोग्राफ की प्रमाणित प्रतियाँ प्रदर्श 17, मुनेश की पीएमआर प्रदर्श 18, मुनेश का पचंनामा प्रदर्श 19, कार्यवाही 174 जा.फौ. प्रदर्श 20, मुनेश का पुलिस सत्यापन प्रदर्श 21, वन रक्षक भर्ती परीक्षा हेतू शारेरिक दक्षता का एडमिट कार्ड प्रदर्श 22, रेल्वे परीक्षा का एडमिट कार्ड प्रदर्श 23 व 24, मुनेश का जाति प्रमाण पत्र प्रदर्श 25 व 26, बी.ए. तृतीय की मार्कशीट प्रदर्श 27, आर.एस.सी.आई.टी. का प्रमाण पत्र प्रदर्श 28, कक्षा 12 वी मार्कशीट प्रदर्श 29, इलैक्ट्रीकल इंजिनियरिंग तृतीय वर्ष मार्कशीट प्रदर्श 30, ट्रैनिगं सर्टिफिकेट प्रदर्श 31, प्रोविजनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रदर्श 32, माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्रदर्श 33, कॉल लेटर प्रदर्श 34, मुनेश का ड्राईविंग लाइसेंस प्रदर्श 35 पेश कर प्रदर्शित करवाये।

4. ए.ड.2 नानगराम ने सशपथ साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 14.03.2020 को समय सुबह करीब 9.30 बजे की बात है, वह राजेन्द्र शर्मा की चाय की दुकान पर चाय पी रहा था। उसने देखा कि लालसोट की तरफ से एक मोटर साईकिल पर दो लडके धीरे धीरे सावधानीपूर्वक अपनी दिशा से दौसा की तरफ जा रहे थे और उनके पीछे ही लालसोट की तरफ से पिकअप नम्बर आर.जे.32 जी.ए.8180 को उसका चालक विपक्षी संख्या 1 तेज गति, लापरवाही एवं असावधानीपूर्वक चलाते हुए लाया और आगे चल रही मोटर साईकिल को टक्कर मार दी। उक्त दुर्घटना में पिकअप का

बोनट मोटर साईकिल में फंस गया और मोटर साईकिल को घसीटते हुए करीब 50 फिट तक ले गया और पिकअप के टायर दोनों लडकों मुकेश व विष्णु के ऊपर होकर गुजर गये। उक्त दुर्घटना पिकअप नम्बर आर.जे.32 जी.ए. 8180 के चालक की घोर लापरवाही एवं असावधानी के कारण घटित हुई है। उक्त दुर्घटना में मोटर साईकिल पर पीछे बैठे विष्णु की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी तथा मुकेश की भी अस्पताल में मृत्यु हो गयी। उक्त दुर्घटना उसने अपनी आँखों से देखी है।

5. पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन करने के उपरांत हस्तगत प्रकरण में स्वीकृत स्थिति है कि प्रार्थनापत्र व अभिकथनों में वर्णित घटना दिनांक 14.03.2020 को घटित हुई थी, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.1 मृतक के पिता बत्तीलाल के द्वारा दिनांक 17.03.2020 को करवाया जाना उल्लेखित हुआ है। इस संबंध में बीमा कंपनी की यह आपत्ति रही है कि प्रार्थीगण के द्वारा तीन दिन के अस्पष्टीकृत विलंब से विपक्षी वाहन के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करवाया गया है। देरी कारित करने से वाहन की संदिग्धता उत्पन्न होती है। प्रार्थी पक्ष द्वारा अप्रार्थी वाहन चालक व स्वामी से मिलकर बीमा कंपनी से क्लेम प्राप्त करने के लिए प्रश्नगत बीमित वाहन को गलत रूप से दुर्घटना में संलिप्त किया गया है, इसलिए क्लेम याचिका खारिज की जाये।

6. इस तथ्य का अवलोकन करें तो यह सुस्थापित विधि है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज करवाये जाने मात्र से ही क्लेम को सम्पूर्ण रूप से अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इस सम्बंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय Ravi Vs. Badrinarayan & Ors. AIR 2011 SC 1226 वाले मामले से यह स्पष्ट है कि इस प्रकार के मामलों में अधिकरण को सतर्कता एवं सावधानी से इस तथ्य की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्या प्रकरण में देरी से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाये जाने का कारण गलत रूप से वाहन को दुर्घटना में संलिप्त करना रहा है। अधिकरण के मत में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने में हुई देरी प्रत्येक प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों पर निर्भर करती है। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थीगण के द्वारा प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में दर्ज एफआइआर प्र.1 प्रस्तुत की गई है, जिसमें दिनांक 14.03.2020 को 9.30 बजे टोडा मीना के पास पिकअप नंबर आर.जे.32/जी.ए.8180 के चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही से चलाकर मोटरसाईकिल के टक्कर मारने, जिससे मोटरसाईकिल पर सवार उसके पुत्र मुनेश व विष्णु की मृत्यु हो जाने संबंधी तथ्य वर्णित किये हैं। उक्त एफआइआर पर दर्ज प्रकरण पर बाद अनुसंधान चार्जशीट अप्रार्थी सं.1 के विरूद्ध प्र.2 के जरिये अंतर्गत धारा 279,304 ए भा.दं.सं. प्रस्तुत किये जाने का तथ्य प्रमाणित हुआ है। प्र.3 पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार दुर्घटना में कारित चोटों से मृतक विष्णु की व प्र.18 के अनुसार मृतक मुनेश की मृत्यु होना प्रकट हुआ है। उक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज कराया जाना प्रार्थीगण के क्लेम पर विपरीत प्रभााव नहीं डाल रहा है।

8. हस्तगत प्रकरण में अपराध का विवरण पत्र नक्शा मौका प्र.10 के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसमें 'एक्स' स्थान पर घटनास्थल दर्शित है। दौराने अनुसंधान प्रश्नगत वाहन को दुर्घटना में लिप्त पाया जाकर,इसी वाहन को

दौराने अनुसंधान जरिये फर्द प्र.पी.13 जब्त किया गया। इसी क्रम में उक्त मुकदमे में पंजीकृत वाहन स्वामी को दिया गया नोटिस प्र.11 के रूप में प्रकट हुआ है, जिसमें वरवक्त दुर्घटना वाहन नंबर आर.जे.32/जी.ए.8180 का चालक अप्रार्थी सं.1 होना दर्शाया गया है तथा इसी क्रम में अप्रार्थी सं.1 को दिया गया नोटिस प्र.12 के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रकट किया गया है, जिसमें स्वयं द्वारा वाहन को चलाने का तथ्य अप्रार्थी सं.1 ने स्वीकार किया है। इस प्रकार उक्त तथ्यों के अवलोकन से दुर्घटना कारित होना व प्रश्नगत वाहन दुर्घटना में संलिप्त होना प्रमाणित हुआ है तथा इसी क्रम में उक्त समस्त प्रलेखीय साक्ष्यों के द्वारा अप्रार्थी सं.1 के विरूद्ध चार्जशीट प्रस्तुत किया जाना भी प्रमाणित हुआ है। प्रार्थीगण की ओर से प्रश्नगत वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्र.6 प्रस्तुत किया है व बीमा पॉलिसी प्र.8 के अनुसार अप्रार्थी बीमा कंपनी के यहां बीमित होने के संबंध में साक्ष्य अभिलेख पर है, अप्रार्थी सं.1 के चालक अनुज्ञा-पत्र को प्र.7 के रूप में प्रदर्शित कराया गया है। इस प्रकार प्रार्थी पक्ष अपनी मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य से यह प्रमाणित कराने में सफल रहे हैं कि प्रश्नगत वाहन के चालक अप्रार्थी सं.1 के द्वारा वाहन आर.जे.32/जी.ए.8180 को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए दुर्घटना कारित की तथा उक्त दुर्घटना के कारण मृतक मुनेश व विष्णु की मृत्यु हो गई। उक्त दुर्घटना के समय दुर्घटना में लिप्त वाहन संख्या आर.जे.32/जी.ए.8180 को उसके चालक अप्रार्थी सं.1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नियोजन में होकर एवं वाहन स्वामी के लाभार्थ चलाया जाना भी साक्ष्य से प्रमाणित है। मृतक मुनेश के चालक अनुज्ञा पत्र को प्र.35 के रूप में पेश किया गया है, जिससे मृतक के पास वाहन चलाने का वैध व चालक अनुज्ञा-पत्र होना प्रकट होता है। इस न्यायालय के विनम्र मत में पत्रावली पर उपलब्ध उपरोक्त समग्र साक्ष्य के विश्लेषण से उक्त अनुसार अप्रार्थी सं.1 चालक की गलती व लापरवाही से दुर्घटना घटित होने के संदर्भ में साक्ष्य व स्थिति अभिलेख पर आई है। वर्तमान प्रकरण में बीमा कंपनी द्वारा ऐसा कोई स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि मृतक की कोई लापरवाही दुर्घटना में सहायक रही। अप्रार्थी बीमा कंपनी ने ऐसी कोई साक्ष्य/रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है कि किसी अन्य वाहन से दुर्घटना हुई हो व प्रश्नगत वाहन को मिथ्या रूप से लिप्त किया गया हो। अतः उक्त समस्त तथ्यों व प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर प्रकरण में विपक्षी बीमा कंपनी द्वारा अपने जवाब मे ली गई आपत्तियां उचित नहीं पायी जाती हैं। इस प्रकार उपरोक्त विवेचना अनुसार विवेचना अनुसार विवाद्यक सं.1 प्रार्थीगण के पक्ष में जबकि विवाद्यक सं.3 विपक्षी बीमा कंपनी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

14. <u>विवाद्यक सं.2</u>

यह विवाद्यक दुर्घटना में हुयी मृतक की मृत्यु के लिए अप्रार्थीगण से संयुक्त रूप से एवं पृथक-पृथक रूप से प्रार्थीगण को मुताबिक क्लेम याचिका क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी होने के बारे में है, जिसे साबित करने का भार प्रार्थीगण पर है। चूंकि अधिकरण द्वारा उपरोक्त विवेचन के आधार पर विवाद्यक सं.1 प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विवाद्यक सं.3 अप्रार्थीगण के विरूद्ध तय किया गया है, ऐसी स्थिति में अब अधिकरण को यह तय करना है कि प्रार्थी पक्ष, अप्रार्थीगण से कितनी-कितनी क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है।

क्षतिपूर्ति राशि निर्धारण के सम्बंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत AIR 2009 SUPREME COURT 3104 Sarla Verma & Ors vs Delhi

Transport Corp.& Anr, AIR 2017 Part 02 ACTC Page 12 National Insurance Company Ltd. Vs. Pranay Sathi & Ors. And 2011 Part 01 ACTC Page 10 के प्रकरणों में विस्तृत दिशा–निर्देश दिये गए है जिनके प्रकाश में हस्तगत प्रकरण में क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण किया जा रहा है।

जिसके संबंध में प्रार्थीगण के प्रकरणों के अनुसार न्यायालय की विवेचना निम्न प्रकार है–

क्लेम याचिका संख्या 28/2026 (52/2020) बत्तीलाल व अन्य/कैलाशचंद व अन्य

1. क्षतिपूर्ति राशि के निर्धारण हेतु हमें मृतक की आयु,आय व गुणक पर विचार करना होगा। जहां तक मृतक की आयु का प्रश्न है, प्रार्थीगण ने अपनी याचिका में दुर्घटना के समय मृतक विष्णु की आयु 19 वर्ष होना बताया है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति प्र.3 के अनुसार उसकी आयु 18 वर्ष अंकित है, मृतक की आयु बाबत अन्य कोई प्रमाण पत्रावली पर नहीं होने से घटना की दिनांक को मृतक की आयु 18 साल निर्धारित की जाती है व न्यायिक नजीर सरला वर्मा बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कोरपोरेशन व अन्य वाले मामले में दी गई अनुसूची के आधार पर इस आयु हेतु 18 का गुणक प्रयुक्त होगा।

2. जहां तक आश्रित आय का प्रश्न है,मृतक की आय पर उसके माता–पिता व दो बहिन आश्रित बताये गये हैं। इस संबंध में प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय मैगमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड/नानूराम(सुप्रा) का अवलम्ब लिया गया है तथा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उक्त निर्णय के अनुसार मृतक की आय में से एक–तिहाई राशि व्यक्तिगत व्यय के रूप में घटाई जानी चाहिए। उक्त निर्णय का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मृतक की बहनों को भी आश्रित मानने का निष्कर्ष उस प्रकरण में उपलब्ध विशिष्ट साक्ष्य एवं परिस्थितियों के आधार पर निकाला गया था। उक्त प्रकरण में मृतक अविवाहित होने के बावजूद व्यवसाय करता था तथा नमकीन उत्पादों का व्यवसाय उसके द्वारा संचालित किया जा रहा था। उसके पिता की आयु लगभग 65 वर्ष थी तथा अभिलेख पर उपलब्ध परिस्थितियों से यह स्थापित था कि मृतक अपने परिवार के सदस्यों का भरण–पोषण करता था। इन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मृतक के माता–पिता के साथ–साथ उसकी बहनों को भी आश्रित माना तथा व्यक्तिगत व्यय की कटौती के प्रश्न पर एक–तिहाई का अनुपात स्वीकार किया। वर्तमान प्रकरण के तथ्य उक्त निर्णय से भिन्न हैं। वर्तमान प्रकरण में मृतक अविवाहित था तथा उसके द्वारा किसी नियमित रोजगार अथवा व्यवसाय से आय अर्जित किए जाने का कोई विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। यद्यपि मृतक के माता–पिता तथा दो बहनों को आश्रित के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तथापि बहनों के संबंध में ऐसा कोई ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्थापित हो कि वे मृतक की आय पर वास्तव में आर्थिक रूप से आश्रित थीं अथवा मृतक उनके

नियमित भरण–पोषण का साधन था। मात्र यह तथ्य कि वे मृतक की अविवाहित बहनें थीं, अपने आप में उन्हें आर्थिक रूप से आश्रित सिद्ध नहीं करता। विशेष रूप से, जब मृतक स्वयं दुर्घटना के समय किसी स्थापित रोजगार में नहीं था और उसकी वास्तविक आय का कोई प्रमाण भी अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है, तब यह मान लेना कि उसकी आय से उसकी दोनों बहनों का नियमित रूप से भरण–पोषण किया जा रहा था, केवल अनुमान पर आधारित होगा। आश्रितता का प्रश्न केवल पारिवारिक संबंध के आधार पर नहीं, बल्कि वास्तविक आर्थिक निर्भरता के प्रमाण के आधार पर निर्धारित किया जाना आवश्यक है। वर्तमान मामले में ऐसी आर्थिक निर्भरता बहनों के संबंध में सिद्ध नहीं हुई है। अतः उन्हें मृतक की आय पर आश्रित मानकर व्यक्तिगत व्यय की कटौती को एक–तिहाई तक सीमित करना उचित नहीं होगा। इसके विपरीत, मृतक के माता–पिता उसके निकटतम आश्रित होने के कारण, उपलब्ध साक्ष्य एवं परिस्थितियों के आधार पर, आश्रित माने जाने के अधिकारी हैं। तथापि, Sarla Verma (Smt.) v. Delhi Transport Corporation तथा National Insurance Company Limited v. Pranay Sethi में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार, अविवाहित मृतक के मामले में सामान्यतः उसकी आय का 50 प्रतिशत उसके व्यक्तिगत एवं जीवन–निर्वाह संबंधी व्यय के रूप में घटाया जाना है। केवल किसी व्यक्ति के माता–पिता अथवा अन्य निकट संबंधियों का दावेदार होना, जब तक वास्तविक आर्थिक आश्रितता सिद्ध न हो, इस सामान्य नियम से विचलन का स्वतः आधार नहीं बनता। अतः मैगमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड/नानूराम(सुप्रा) में प्रतिपादित सिद्धांत वर्तमान मामले के तथ्यों पर यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता। उक्त निर्णय में बहनों की वास्तविक आर्थिक आश्रितता विशिष्ट साक्ष्य एवं परिस्थितियों से स्थापित थी, जबकि वर्तमान मामले में ऐसी आश्रितता सिद्ध नहीं हुई है। परिणामतः वर्तमान प्रकरण में मृतक की आय में से व्यक्तिगत व्यय के रूप में एक–आधा (50 प्रतिशत) की कटौती किया जाना न्यायोचित होगा, न कि एक–तिहाई की।

3. जहाँ तक मृतक की आय के निर्धारण का प्रश्न है, प्रार्थीगण की ओर से मृतक का मकान बनाने का मिस्त्री का कार्य करना व प्रतिमाह 18 हजार रूपये आय होने का कथन किया है, परंतु इस संबंध में कोई दस्तावेजी या अन्य उचित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अतः दुर्घटना के समय मृतक को अकुशल कर्मकार माना जाकर,वर्ष 2020 में तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी के परिप्रेक्ष्य में मृतक की मासिक आय 6750 रूपये निर्धारित की जाती है।

4. न्यायिक दृष्टांत एसएलपी (सिविल) नंबर 25590/2014 नेशनल बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय में भविष्य की आय वृद्धि के संबंध में 40 वर्ष से कम आयु वाले स्थाई आय से अन्यथा मृतक के मामले में 40 प्रतिशत राशि जोडे जाने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। हस्तगत मामले में मृतक की आयु 18 वर्ष होने से इस मामले में 40 प्रतिशत 6750 रूपये में जोडने से

9450 रूपये प्रतिमाह भविष्यगत आय होना मानते हुए क्षतिपूर्ति राशि के निर्धारण पर विचार किया जाना है। जिसमें से मृतक के निजी खर्च के रूप में राशि की कटौती (मासिक आय का 1/2) 4725 रूपये घटाने पर आश्रित मासिक आय 4725 रूपये निर्धारित की जाती है, जिसे 12 से गुणा करने पर 56,700 रूपये वार्षिक आश्रितता का नुकसान होना माना जाता है। इस मामले में 18 का गुणक का प्रयोग किया गया है, अतः 56,700 रूपये को 18 से गुणा करने पर 10,20,600 रूपये क्षतिपूर्ति राशि होती है, जो प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

5. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि. बनाम प्रणय सेठी (2017) 16 एस.सी.सी. 680 में स्नेह, वात्सल्य, दाह संस्कार एवं संपदा की क्षति की मद में माता–पिता, संतान एवं पति पत्नी के बाबत स्नेह, वात्सल्य के रूप में राशि दिलाये जाने का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अतः प्रत्येक पात्र आश्रित को सहचार्य हानि की मद में 40,000, 40,000 कुल 80,000 रूपये दिलवाया जाना उचित प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त अंतिम क्रियाक्रम व्यय हेतु 15,000 रूपये व संपदा की हानि के मद में 15,000 रूपये कुल 1,10,000 रूपये दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार पूर्व में किये गये विवेचन अनुसार प्रार्थीगण को कुल 10,20,600+ 1,10,000 = 11,30,600/–रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाया जाना न्यायोचित है। अतः उक्त विवाद्यक का निर्णय उक्तानुसार प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध किया जाता है।

15. <u>क्लेम याचिका संख्या 29/2026(53/2020) बत्तीलाल व अन्य/कैलाशचंद</u>

क्षतिपूर्ति राशि के निर्धारण हेतु हमें मृतक की आयु, आय व गुणक पर विचार करना होगा। जहां तक मृतक की आयु का प्रश्न है, प्रार्थीगण ने अपनी याचिका में दुर्घटना के समय मृतक की आयु 25 वर्ष होना बताया है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति प्र.18 के अनुसार उसकी आयु 25 वर्ष अंकित है, मृतक की आयु बाबत उसका डी.एल. प्र.35 अभिलेख है, जिसमें उसकी जन्मतिथि 15.07.1995 अंकित है। उक्त तथ्यों का खंडन पत्रावली पर नहीं होने से घटना की दिनांक को मृतक की आयु 25 साल निर्धारित की जाती है व न्यायिक नजीर सरला वर्मा बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कोरपोरेशन व अन्य वाले मामले में दी गई अनुसूची के आधार पर इस आयु हेतु 18 का गुणक प्रयुक्त होगा।

जहां तक आश्रित आय का प्रश्न है,मृतक की आय पर उसके माता–पिता व दो बहिन आश्रित बताये गये हैं। इस संबंध में प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय मैगमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड/नानूराम(सुप्रा) का अवलम्ब लिया गया है तथा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उक्त निर्णय के अनुसार मृतक की आय में से एक–तिहाई राशि व्यक्तिगत व्यय के रूप में घटाई जानी चाहिए। उक्त निर्णय का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मृतक की बहनों को भी आश्रित मानने का निष्कर्ष उस प्रकरण में उपलब्ध विशिष्ट साक्ष्य एवं परिस्थितियों के आधार पर निकाला गया था। उक्त प्रकरण में मृतक अविवाहित होने के बावजूद व्यवसाय करता था तथा नमकीन उत्पादों के निर्माण का व्यवसाय उसके द्वारा संचालित किया जा रहा

था। उसके पिता की आयु लगभग 65 वर्ष थी तथा अभिलेख पर उपलब्ध परिस्थितियों से यह स्थापित था कि मृतक अपने परिवार के सदस्यों का भरण–पोषण करता था। इन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मृतक के माता–पिता के साथ–साथ उसकी बहनों को भी आश्रित माना तथा व्यक्तिगत व्यय की कटौती के प्रश्न पर एक–तिहाई का अनुपात स्वीकार किया। वर्तमान प्रकरण के तथ्य उक्त निर्णय से भिन्न हैं। वर्तमान प्रकरण में मृतक अविवाहित था तथा उसके द्वारा किसी नियमित रोजगार अथवा व्यवसाय से आय अर्जित किए जाने का कोई विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। यद्यपि मृतक के माता–पिता तथा दो बहनों को आश्रित के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तथापि बहनों के संबंध में ऐसा कोई ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्थापित हो कि वे मृतक की आय पर वास्तव में आर्थिक रूप से आश्रित थीं अथवा मृतक उनके नियमित भरण–पोषण का साधन था। मात्र यह तथ्य कि वे मृतक की अविवाहित बहनें थीं, अपने आप में उन्हें आर्थिक रूप से आश्रित सिद्ध नहीं करता। विशेष रूप से, जब मृतक स्वयं दुर्घटना के समय किसी स्थापित रोजगार में नहीं था और उसकी वास्तविक आय का कोई प्रमाण भी अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है, तब यह मान लेना कि उसकी आय से उसकी दोनों बहनों का नियमित रूप से भरण–पोषण किया जा रहा था, केवल अनुमान पर आधारित होगा। आश्रितता का प्रश्न केवल पारिवारिक संबंध के आधार पर नहीं, बल्कि वास्तविक आर्थिक निर्भरता के प्रमाण के आधार पर निर्धारित किया जाना आवश्यक है। वर्तमान मामले में ऐसी आर्थिक निर्भरता बहनों के संबंध में सिद्ध नहीं हुई है। अतः उन्हें मृतक की आय पर आश्रित मानकर व्यक्तिगत व्यय की कटौती को एक–तिहाई तक सीमित करना उचित नहीं होगा। इसके विपरीत, मृतक के माता–पिता उसके निकटतम आश्रित होने के कारण, उपलब्ध साक्ष्य एवं परिस्थितियों के आधार पर, आश्रित माने जाने के अधिकारी हैं। तथापि, Sarla Verma (Smt.) v. Delhi Transport Corporation तथा National Insurance Company Limited v. Pranay Sethi में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार, अविवाहित मृतक के मामले में सामान्यतः उसकी आय का 50 प्रतिशत उसके व्यक्तिगत एवं जीवन–निर्वाह संबंधी व्यय के रूप में घटाया जाना है। केवल किसी व्यक्ति के माता–पिता अथवा अन्य निकट संबंधियों का दावेदार होना, जब तक वास्तविक आर्थिक आश्रितता सिद्ध न हो, इस सामान्य नियम से विचलन का स्वतः आधार नहीं बनता। अतः मैगमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड/नानूराम(सुप्रा) में प्रतिपादित सिद्धांत वर्तमान मामले के तथ्यों पर यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता। उक्त निर्णय में बहनों की वास्तविक आर्थिक आश्रितता विशिष्ट साक्ष्य एवं परिस्थितियों से स्थापित थी, जबकि वर्तमान मामले में ऐसी आश्रितता सिद्ध नहीं हुई है। परिणामतः वर्तमान प्रकरण में मृतक की आय में से व्यक्तिगत व्यय के रूप में एक–आधा (50 प्रतिशत) की कटौती किया जाना न्यायोचित होगा, न कि एक–तिहाई की।

जहाँ तक मृतक की आय के निर्धारण का प्रश्न है, यह सही है कि दुर्घटना के समय मृतक के नियमित रोजगार में होने अथवा उसके द्वारा किसी निश्चित वेतन अथवा मासिक आय अर्जित किए जाने के संबंध में कोई प्रत्यक्ष दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। तथापि, मात्र इस आधार पर कि मृतक की वास्तविक आय का कोई निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं है, उसे अकुशल अथवा सामान्य श्रमिक मानकर

उसकी आय का निर्धारण करना न्यायोचित नहीं होगा। प्रस्तुत प्रकरण में मृतक की आयु दुर्घटना के समय लगभग 25 वर्ष थी तथा उसके पास पर्याप्त शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताएँ थीं। मृतक द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.ए. भाग तृतीय परीक्षा उत्तीर्ण किए जाने की अंकतालिका Exhibit P–27 के रूप में प्रदर्शित की गई है। इसके अतिरिक्त, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा वर्ष 2015 में जारी राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी Exhibit P–28 के रूप में अभिलेख पर है। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, राजस्थान द्वारा जारी Engineering Course Certificate Exhibit P–30 के रूप में तथा राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा जारी प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र Exhibit P–31 के रूप में प्रदर्शित है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, राजस्थान द्वारा जारी Diploma in Electrical Engineering का प्रमाण–पत्र Exhibit P–32 के रूप में अभिलेख पर है।

उपरोक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्य का समग्र रूप से परीक्षण करने पर यह स्पष्ट होता है कि मृतक मात्र स्नातक शिक्षित व्यक्ति नहीं था, बल्कि उसके पास विद्युत अभियंत्रण के क्षेत्र में विशिष्ट तकनीकी योग्यता थी तथा उसने संबंधित तकनीकी क्षेत्र में व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्राप्त किया था। इसके अतिरिक्त, मृतक द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने का तथ्य भी यह दर्शाता है कि वह अपनी शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताओं के अनुरूप उपयुक्त रोजगार प्राप्त करने के लिए प्रयासरत था। यद्यपि मात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होना इस बात का प्रमाण नहीं माना जा सकता कि मृतक ने किसी विशिष्ट सरकारी पद पर नियुक्ति प्राप्त कर ली थी अथवा निश्चित रूप से ऐसा पद प्राप्त कर लेता, तथापि यह परिस्थिति उसकी संभावित रोजगार क्षमता एवं भावी आय अर्जित करने की क्षमता के आकलन के लिए निश्चित रूप से प्रासंगिक है। मुआवजा वाद में, विशेष रूप से ऐसे युवा व्यक्ति की आय का निर्धारण करते समय, जो दुर्घटना के समय किसी स्थायी अथवा स्थापित रोजगार में नहीं था, आय का निर्धारण केवल उस वास्तविक आय तक सीमित नहीं किया जा सकता, जिसका प्रत्यक्ष दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध हो। न्यायाधिकरण को अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर मृतक की संभावित आय अर्जित करने की क्षमता का युक्तिसंगत आकलन करना होता है। वर्तमान प्रकरण में मृतक की स्नातक शैक्षणिक योग्यता, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी प्रमाण–पत्र, विद्युत अभियंत्रण में डिप्लोमा, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड से प्राप्त व्यावहारिक तकनीकी प्रशिक्षण, उसकी कम आयु तथा रोजगार प्राप्त करने के उसके प्रयासों को दृष्टिगत रखते हुए, उसकी आय का निर्धारण किसी अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी के आधार पर किया जाना न्यायोचित नहीं होगा।

राजस्थान राज्य सरकार द्वारा दिनांक 19.08.2020 को जारी न्यूनतम मजदूरी संबंधी अधिसूचना, जिसे दिनांक 01.05.2019 से प्रभावी किया गया था, में अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं अत्यधिक कुशल श्रमिकों के लिए पृथक–पृथक मजदूरी दरें निर्धारित की गई हैं। अतः उक्त दरें दुर्घटना की दिनांक 14.03.2020 को प्रभावी थीं। यद्यपि उक्त वैधानिक वर्गीकरण मात्र से मृतक की वास्तविक आय स्वतः निर्धारित नहीं होती, तथापि वास्तविक आय के विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में मृतक की संभावित आय अर्जित करने की क्षमता के निर्धारण हेतु उक्त न्यूनतम मजदूरी की दरें एक वस्तुनिष्ठ एवं युक्तिसंगत आधार प्रदान करती हैं। विशेष रूप से Exhibit P–

32 द्वारा सिद्ध विद्युत अभियंत्रण में डिप्लोमा तथा Exhibit P-31 द्वारा सिद्ध तकनीकी प्रशिक्षण को दृष्टिगत रखते हुए मृतक में अत्यधिक तकनीकी रूप से कुशल व्यक्ति के अनुरूप आय अर्जित करने की क्षमता विद्यमान थी। अतः उसकी आय का निर्धारण अकुशल अथवा मात्र अर्द्धकुशल श्रमिक के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर किया जाना उचित नहीं होगा।

अतः मृतक की वास्तविक आय के संबंध में विश्वसनीय दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध न होने के बावजूद, उसकी शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताओं, व्यावहारिक प्रशिक्षण, आयु, रोजगार प्राप्त करने के प्रयासों तथा भावी रोजगार की संभावनाओं को समग्र रूप से दृष्टिगत रखते हुए, राज्य सरकार द्वारा प्रभावी न्यूनतम मजदूरी अधिसूचना में अत्यधिक कुशल श्रमिक के लिए निर्धारित मजदूरी को मृतक की संभावित मासिक आय के निर्धारण हेतु एक युक्तिसंगत एवं वस्तुनिष्ठ आधार माना जाना न्यायोचित होगा। यह निर्धारण इस धारणा पर आधारित नहीं है कि मृतक ने कोई विशिष्ट सरकारी अथवा अन्य रोजगार प्राप्त कर लिया था, बल्कि अभिलेख पर सिद्ध उसकी योग्यता एवं परिस्थितियों के आधार पर उसकी संभावित आय अर्जित करने की क्षमता का युक्तिसंगत आकलन मात्र है। अतः दुर्घटना के समय मृतक को उच्च कुशल कर्मकार माना जाकर, वर्ष 2020 में तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी के परिप्रेक्ष्य में मृतक की मासिक आय 8970 रूपये निर्धारित की जाती है।

न्यायिक दृष्टांत एसएलपी (सिविल) नंबर 25590/2014 नेशनल बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय में भविष्य की आय वृद्धि के संबंध में 40 वर्ष से कम आयु वाले स्थाई आय से अन्यथा मृतक के मामले में 40 प्रतिशत राशि जोडे जाने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। हस्तगत मामले में मृतक की आयु 25 वर्ष होने से इस मामले में 40 प्रतिशत 8970 रूपये में जोडने से 12,558 रूपये प्रतिमाह भविष्यगत आय होना मानते हुए क्षतिपूर्ति राशि के निर्धारण पर विचार किया जाना है। जिसमें से मृतक के निजी खर्च के रूप में राशि की कटौती (मासिक आय का 1/2) 6279 रूपये घटाने पर आश्रित मासिक आय 6279 रूपये निर्धारित की जाती है, जिसे 12 से गुणा करने पर 75,348 रूपये वार्षिक आश्रितता का नुकसान होना माना जाता है। इस मामले में 18 का गुणक का प्रयोग किया गया है, अतः 75,348 रूपये को 18 से गुणा करने पर 13,56,264 रूपये क्षतिपूर्ति राशि होती है, जो प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि. बनाम प्रणय सेठी (2017) 16 एस.सी.सी. 680 में स्नेह, वात्सल्य, दाह संस्कार एवं संपदा की क्षति की मद में माता-पिता, संतान एवं पति पत्नी के बाबत स्नेह, वात्सल्य के रूप में राशि दिलाये जाने का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अतः प्रत्येक पात्र आश्रित को सहचार्य हानि की मद में 40,000, 40,000 कुल 80,000 रूपये दिलवाया जाना उचित प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त अंतिम क्रियाक्रम व्यय हेतु 15,000 रूपये व संपदा की हानि के मद में 15,000 रूपये कुल 1,10,000 रूपये दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार पूर्व में किये गये विवेचन अनुसार प्रार्थीगण को कुल 13,56,264+ 1,10,000= 14,66,264/-रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाया जाना न्यायोचित है। अतः उक्त विवाद्यक का निर्णय उक्तानुसार प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध किया जाता है।

अब यह देखना है कि प्रार्थीगण उक्त प्रतिकर राशि किस–किस अप्रार्थी से किस–किस प्रकार प्राप्त करने के अधिकारी है।विवाद्यक संख्या 01 व 03 की विवेचना में यह निर्धारित किया गया है कि हस्तगत मोटरयान दुर्घटना प्रश्नगत वाहन चालक अप्रार्थी संख्या 01 की गलती व लापरवाही से घटित हुई थी तथा वक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन बीमा कम्पनी अप्रार्थी संख्या 04 के यहां बीमित था। इन परिस्थितियों में अप्रार्थीगण क्षतिपूति राशि अदा करने के लिए दायित्वाधीन है।

16. <u>अनुतोष.</u>

उपरोक्त विवेचन अनुसार क्लेम याचिका प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण निम्नानुसार स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>पंचाट</u>

<u>क्लेम याचिका संख्या 28/2026 (52/2020) बत्तीलाल व अन्य/कैलाशचंद</u>

17. अतः प्रार्थीगण बत्तीलाल व अन्य का आवेदन धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से, पृथक–पृथक रूप से प्रार्थीगण के पक्ष में 11,30,600/–रूपये (अक्षरे ग्यारह लाख तीस हजार छह सौ रूपये) का अवार्ड पारित किया जाता है। उक्त राशि पर आवेदन प्रस्तुति दिनांक 19.10.2020 से साधारण ब्याज दर सात प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देय होगा। प्रार्थी के अवार्ड के अनुसार प्रतिकर विभाजन निम्न प्रकार से किया जायेगा–

नाम प्रार्थी	बचत खाता	सावधी खाता	अवधि
बजरंगी पत्नी बत्तीलाल	शेष राशि मय ब्याज	3,00,000	तीन साल
बत्तीलाल पुत्र मांग्या उर्फ मांगीलाल	–––––––––––	3,00,000	तीन साल

<u>क्लेम याचिका संख्या 29/2026 (53/2020)बत्तीलाल व अन्य/कैलाशचंद</u>

18. अतः प्रार्थीगण बत्तीलाल व अन्य का आवेदन धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से, पृथक–पृथक रूप से प्रार्थीगण के पक्ष में 14,66,264/–रूपये (अक्षरे चौदह लाख छियासठ हजार दो सौ चौसठ रूपये) का अवार्ड पारित किया जाता है। उक्त राशि पर आवेदन प्रस्तुति दिनांक 19.10.2020 से साधारण ब्याज दर सात प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देय होगा। प्रार्थी के अवार्ड के अनुसार प्रतिकर विभाजन निम्न प्रकार से किया जायेगा–

नाम प्रार्थी	बचत खाता	सावधी खाता	अवधि
बजरंगी पत्नी बत्तीलाल	शेष राशि मय ब्याज	3,00,000	तीन साल
बत्तीलाल पुत्र मांग्या उर्फ मांगीलाल	–––––––––––	3,00,000	तीन साल

19. यदि कोई राशि अंतरिम अनुतोष के रूप में पूर्व में प्रार्थीगण द्वारा प्राप्त की गयी हो तो वह बचत खाता के जरिए नकद दिलवाये जाने वाली क्षतिपूर्ति अवार्ड राशि में से

कम कर समायोजित की जावेगी। एफडीआर बिना न्यायालय के आदेश से प्रिमेच्योर नहीं होगी तथा एफडीआर पर अग्रिम एवं ऋण का भुगतान देय नहीं होगा।

20. अप्रार्थी बीमा कम्पनी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित एस.बी. सिविल रिट नम्बर 6237/2017 बउनवान आई.सी.आई.सी.आई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में पारित निर्णय दिनांक 03.10.2018 के अनुसरण में उक्त क्षतिपूर्ति राशि दो माह की अवधि में इस अधिकरण के खाता नंबर 44485505525 IFSC No.SBIN0031075 में जरिये NEFT/RTGS/Cheque जमा करावे तथा राशि जमा कराने की सूचना 15 दिवस के अन्दर इस अधिकरण में पेश करें।

21. समस्त प्रार्थी निर्णय की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अप्रार्थी बीमा कम्पनी के अधिवक्ता को अपने पैन कार्ड की फोटोप्रति उपलब्ध करायेंगे ताकि यदि कोई टीडीएस देय हो तो उसकी बाबत दस्तावेज देने में बीमा कम्पनी को कोई असुविधा या विलम्ब ना हो। प्रार्थीगण क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने से पूर्व इस अधिकरण में इस आशय का शपथपत्र पेश करेंगे कि उनके द्वारा हस्तगत प्रकरण की दुर्घटना के सम्बन्ध में किसी भी अन्य न्यायालय/अधिकरण में कोई क्षतिपूर्ति याचिका पेश नहीं की गयी है और ना ही इससे पूर्व इस दुर्घटना के सम्बन्ध में उनके द्वारा कोई क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त की गयी है।

22. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश क्रमांक 07/पी.आई./ 2023 दिनांक 25.07.2023 के अनुसार बीमा कम्पनी /अप्रार्थीगण द्वारा दावेदार अधिवक्ता / दावेदार प्रतिकर राशि अधिकरण में जमा करा दिये जाने की सूचना देने के 30 दिन की अवधि में दावेदार की ओर से प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अधिकरण द्वारा प्रतिकर राशि को राष्ट्रीकृत बैंक में सावधि जमा में 06 माह या नवीनीकृत अवधि के लिए रखा जा सकेगा।

(रेशमा खान)
न्यायाधीश
मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं.2
गंगापुर सिटी

23. निर्णय व पंचाट आज दिनांक 10.08.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रेशमा खान)
न्यायाधीश
मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं.2
गंगापुर सिटी